(d) There is no proposal under consideration to develop biodiversity zone in Andhra Pradesh.

Promotion of CNG run vehicles

1106. SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether, as a policy, Government have considered the question of promoting Compressed Natural Gas (CNG) run vehicles to replace the polluting diesel run vehicles.

(b) if so, the details of the decision, if any, taken in this regard; and

(c) the steps taken in this regard, so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) to (c) No, Sir. However, the Government, in order to promote the use of compressed natural gas (CNG) as fuel in vehicles, has initiated following steps; (a) providing customs duty exemption for CNG kits; (b) allotment of land for setting up of CNG filling stations; (c) conversion of DTC and private city buses to single fuel mode on CNG by 31.3.2001 in the National Capital Territory of Delhi; (d) all pre-1990 autos and taxis to be replaced with new vehicles on clean fuels by 31.3.2000 in the National Capital Territory of Delhi; (e) all post-1990 autos and taxis to be replaced with new vehicles on clean fuels by 31.3.2001 in the National Capital Territory of Delhi; (f) No 8 year old buses to ply except on CNG or other clean fuels by 1.4.2000 in the National Capital Territory of Delhi.

यमुना नदी का एक नहर में परिवर्तन

1107. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना नदी की चौड़ाई कम करके इसे एक नहर का रूप देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

और

(ग) क्या इसके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) जी, हां। मास्टर प्लान दिल्ली-2001 में यमुना नदी को चैनलबद्ध करने का प्रस्ताव किया गया है। केन्द्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र, पुणे ने मास्टर प्लान दिल्ली-2001 में अनुमोदित प्रस्ताव के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर यमुना नदी को चैनलबद्ध करने के लिए एक अध्ययन किया है और उसने यह सिफारिश की है कि केन्द्रशासित प्रदेश, दिल्ली में यमुना नदी को चैनलबद्ध करना व्यावहारिक है लेकिन इससे यमुना नदी के जल प्रवाह की गति पर कुछ प्रभाव पड़ने के साथ ही केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली के जल के ऊपरी स्तर में भी वृद्धि होगी। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर को दिल्ली में यमुना नदी के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरणीय प्रबंधन और नवीकरण के लिए एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का कार्य पूरा हुए बिना दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा कोई भी विचार परियोजना शुरू नहीं की जाएगी।

Protection of Gulf of Mannar from environmental degradation

1108. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are blocking a big grant from the Global Environment Facility for a project to save the Gulf of Mannar from environmental degradation;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) the steps taken to clear the project quickly?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The M. S. Swaminathan Research Foundation, Chennai, have formulated a project on "Strengthening the Managment of Gulf of Mannar Biosphere Reserve" which received a Project Development Fund Grant-B of US$ 1,94,000 from the Global Environment Facility (GEF). The proponents have submitted a Project Brief which has been examined in the Ministry. The proponents have been asked to modify the proposal in order to reflect Government of India's cocerns appropriately before the Government's formal approval is accorded for seeking the GEF approval.

Installation of Effluent Treatment Plants

1109. SHRI PRAFULL GORADIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Supreme Court had directed tanneries/distilleries to instal effluent treatment plants;

(b) if so, whether these plants are working and their performance is monitored; and

(c) if not, why these tanneries/distilleries are allowed to function and endanger the lives of the people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) and (b) Yes, Sir. The tanneries and distilleries have been directed to instal effluent treatment plants, as well as upgrade the existing effluent treatment plants, in a time bound manner. The progress in installation/upgradation of effluent treatment plants, by these units, has been periodically monitored and non-compliance units have been closed down.

(c) Does not arise.

सर्कस के जानवरों का पुनर्वास

1110. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सर्कस के जानवरों के पुनर्वास का मामला अधर में लटका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उन्हें चिड़िया घरों में रखने से मना कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कौन-कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 14 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना के तहत जानवरों की पांच प्रजातियों अर्थात् बाघ, तेंदुआ, शेर, भालू और बन्दर के प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। माननीय उच्च न्यायालय के 16 दिसम्बर, 1998 के आदेश के तहत उक्त अधिसूचना का समर्थन प्रदान किया है। उक्त आदेश में भारत सरकार को उक्त अधिसूचना में शामिल किए गए याचिकादाताओं के जानवरों के अनुरक्षण हेतु दो महीने की अवधि का भुगतान करने को कहा गया था। तदनुसार, जानवरों के अनुरक्षण की लागत का भुगतान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा अभी यह निर्णय किया जाना है कि याचिकादाताओं द्वारा जानवरों का अभ्यार्पण किया जाए अथवा नहीं।

तथापि, प्रारम्भिक अभ्यास के रूप में सचिव (पर्या० एवं वन) की अध्यक्षता में 15.2.1999 को आयोजित बैठक में विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया गया। उक्त बैठक में अन्य बातों के साथ साथ यह निर्णय भी किया गया कि सर्कस मालिकों द्वारा सर्कस के जानवरों का अभ्यार्पण करने की दशा में उनके बचाव की सुविधाओं का सृजन किया जाना चाहिए।